राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांकः 03.05.2017

अधिसूचना

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, जिन पंजीयन उप–जिलों में पूर्णकालीन उप–रजिस्ट्रार नियुक्त हैं, उन उप–जिलों में पदस्थापित तहसीलदार व नायब तहसीलदार को ऐसे उप–जिलों के लिए राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार–2017 की अवधि 08 मई 2017 से 30 जून 2017 के दौरान शिविर स्थल पर पंजीयन कार्य सम्पादित करने के लिए उप–रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

(सं. प.2(30)वित्त/कर/2015–12)
राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Ramzan Ji\Notification_Hindi_A4.docx117